खरीद एवं विपणन सहायता स्कीम सहायता स्कीम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1.	खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
उत्तर:	उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत और एमएसएमई डेटाबैंक में प्रविष्टि रखने वाले विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के एमएसई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
प्रश्न 2.	खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत देश भर में घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए किन पात्र वस्तुओं पर सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर:	स्टॉल किराया शुल्क और आकस्मिक व्यय (यात्रा, प्रचार और माल ढुलाई शामिल) (सहायता की अधिकतम सीमा के लिए पीएमएसएस दिशानिर्देश देखें)
प्रश्न 3.	योजना के तहत एक एमएसई कितनी बार घरेलू प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पात्र है?
उत्तर:	एक एमएसई को एक वर्ष में अधिकतम 2 (दो) आयोजनों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।
प्रश्न 4.	घरेलू प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए एमएसई की अधिकतम संख्या क्या है?
उत्तर:	पीएमएसएस के तहत भागीदारी के लिए 60 एमएसई पात्र प्रति प्रदर्शनी अधिकतम संख्या है।
प्रश्न 5.	घरेलू प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एक एमएसई को एनएसआईसी में कब आवेदन करना चाहिए?
उत्तर:	यूनिट को प्रदर्शनी शुरू होने से कम से कम 90 दिन पहले आवेदन करना होगा।

विशेष खरीद एवं विपणन सहायता स्कीम सहायता स्कीम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1.	विशेष खरीद और विपणन सहायता स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
उत्तर:	उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत और एमएसएमई डेटाबैंक में प्रविष्टि रखने वाले विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के एमएसई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
प्रश्न 2.	विशेष खरीद और विपणन सहायता स्कीम के तहत देश भर में घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए किन-किन चीजों पर सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर:	स्टॉल किराया शुल्क और आकस्मिक व्यय (यात्रा और माल ढुलाई शामिल) (सहायता की अधिकतम सीमा के लिए एसएमएएस दिशानिर्देश देखें)
प्रश्न 3.	स्कीम के तहत घरेलू प्रदर्शन में भाग लेने के लिए एमएसई कितनी बार भाग ले सकती है?
उत्तर:	एमएसई को एक वर्ष में अधिकतम 4 (चार) इवेंटों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।
प्रश्न 4.	घरेलू प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एनएसआईसी में एमएसई को कहाँ आवेदन करना चाहिए।
उत्तर:	केवल वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार, इच्छुक एससी/एसटी इकाइ आयोजन शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले आवेदन **PRISM** पोर्टल http://exhibitions.nsicnet.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
प्रश्न 5.	आप एससी/एसटी उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई को कैसे परिभाषित करते हैं?
उत्तर:	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के पैरा 16 के प्रावधान के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.6.2013 के स्पष्टीकरण के अनुसार, एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई की परिभाषा नीचे दी गई है: क) मालिकाना एमएसई के मामले में, मालिक एससी/एसटी होगा। ख) साझेदारी एमएसई के मामले में, एससी/एसटी भागीदारों के पास इकाई में कम से कम 51% शेयर होंगे। ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में, कम से कम 51% हिस्सेदारी एससी/एसटी प्रमोटरों के पास होगी।